राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 21.04.2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने से उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोडने तथा आमजन को चिकित्सा सुविधाऐं सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु व्यापक लोकहित में राज्य सरकार द्वारा सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे है। राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि राज्य के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों, कोरोना संक्रमण के हॉट स्पॉट, लोक डाउन से प्रभावित क्षेत्र तथा कोरोना संक्रमण से प्रभावित उपखण्ड मुख्यालयों में कोविड–19 के अतिरिक्त अन्य बीमारियों यथा किडनी, हाईपरटेंशन, डायबिटीज, खांसी–जुकाम, बुखार आदि के मरीजों तथा गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा केन्द्रों पर पहुंचने में कुछ असुविधा हो सकती है।

उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी कर्फ्यूग्रस्त इलाकों, कोरोना संक्रमण के हॉट स्पॉट, लोक डाउन से प्रभावित क्षेत्र तथा कोरोना संक्रमण से प्रभावित उपखण्ड मुख्यालय पर कोविड–19 के अतिरिक्त अन्य बीमारियों यथा किडनी, हाईपरटेंशन, डायबिटीज, खांसी–जुकाम, बुखार आदि के मरीजों तथा गर्भवती महिलाओं को उनके निवास के नजदीक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **समस्त जिला कलक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले में उपलब्ध विभागीय मोबाईल मेडिकल यूनिट/मोबाईल मेडिकल वैन/बेस एम्बूलेंस को मय चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग/ पैरा मेडिकल स्टाफ एवं निर्धारित आवश्यक औषधियों एवं निर्धारित जांच सुविधा सहित प्रभावित क्षेत्रों में तैनात (Deploy) कर आमजन को मोबाईल ओपीडी की सुविधाऐं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

यदि किसी क्षेत्र में विभागीय मोबाईल मेडिकल यूनिट/मोबाईल मेडिकल वैन उपलब्ध नहीं हो अथवा चलायमान स्थिति में नहीं हो तो जिला कलक्टरों को निजी एम्बूलेंसों/मोबाईल मेडिकल यूनिटों को अथवा यह उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में समुचित वाहनों को, किराये पर लेकर मोबाईल ओपीडी यूनिट का संचालन करने हेतु अधिकृत किया जाता है। मोबाईल मेडिकल यूनिटों का संचालन संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा। उपरोक्त सभी मोबाईल ओपीडी वाहनों पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा फ्लेक्स बैनर लगवाये जाकर उनपर "राजस्थान सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मोबाईल ओपीडी यूनिट" लिखवाया जायेगा। मोबाईल ओपीडी यूनिट संचालन के समस्त व्यय का नियमानुसार भुगतान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से एन. एच. एम. के मोबाईल मेडिकल यूनिट/मोबाईल मेडिकल वैन मद से प्रभार्य होगा।

21/04/2020

(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
4. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
7. समस्त जिला कलक्टर, राज.
8. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर
9. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
10. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
13. स्टेट हैड जीवीके ईएमआरआई, शिफु बिल्डिंग झालाना, जयपुर
14. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
15. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार) 21.4.2020
शासन उप सचिव